18/10/14 पत्रावली आज पेश हुवी। वकील वादिनी उपस्थित। पैरोकार राज उपस्थित। करणी सिंह एवं देवेन्द्र सिंह की ओर से वकालतनामा श्री रामचन्द्र सिंह भाटी एडवोकेट ने प्रस्तुत किया।

साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत किया कि वाद में प्रतिवादी सं. 3, 4, 8 व 11 ने अपने धारण की भूमि प्रार्थीगण करणी सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी तहसील फलौदी जिला जोधपुर तथा देवेन्द्र सिंह पुत्र करणी सिंह को विक्रय कर दी है।

अत: प्रतिवादी संख्या 3, 4, 8, 11 के नाम वाद से हटाये जाकर क्रेतागण को बतौर प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 स्थापित किया जावे। प्रतिवादिनी के वकील को दिखायी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादिनी के वकील ने अनापत्ति प्रस्तुत की कि नाम हटाये जाकर जोड़े जाते है तो कोई आपत्ति नहीं है अतः करणी सिंह, देवेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 3,4,8,11 के नाम हटाये जाकर प्रार्थीगण को वाद में प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया जाता है साथ ही प्रार्थीगण ने वाद स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की है प्रार्थना पत्र शामिल मिसल रहे। प्रतिवादी संख्या 1,5 बावजूद सूचना - अनुपस्थित है। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वाद में उभय पक्ष द्वारा विवादित भूमि के खाता विभाजन में सहमति प्रदान की है अतः वाद स्वीकार किया जाता है। साथ ही श्री रामचन्द्र सिंह भाटी एडवोकेट ने प्रतिवादीगण इन्द्र देवी, जुगल किशोर, भागीरथ भारू पुत्री पेमाराम लोहार, मूलदान, संतोष देवी, मोहनी पत्नी आसूराम, स्वरूपाराम की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया। शामिल मिसल रहे। साथ ही संतोष देवी की ओर से श्री रणजीत सिंह निर्वाण एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल रहे। प्रतिवादीगण ने इस आशय का प्रार्थना पत्र - प्रस्तुत किया कि वाद स्वीकार किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है पैरोकार राज ने भी वाद स्वीकार किये जाने बाबत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है अतः वाद वादिनी आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। [signature] उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत (बीकानेर)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादिनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादग्रस्त भूमि में उनके निहित हिस्से के अनुरूप ग्राम नोखड़ा के ख०नं. 250 तादादी 21.8128 हैक्टेयर, ख.नं. 249 तादादी 0.6070 हैक्टेयर तथा ख.नं. 401 तादादी 25.7210 हैक्टेयर भूमि पर तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है उक्त भूमि का विभाजन वादिनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनकी सहमति के अनुरूप बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स (अच्छी से अच्छी व माड़ी से माड़ी विभाजन कर वादिनी एवं प्रतिवादीगण का अलग-अलग खाता कायम कर अलग-अलग रंगों से दर्शित कर लगान कायम करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल कराया गया। वाद पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/10/22 को सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत (बीकानेर)